उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या 16/2017/285/41-2017-99 यो/2017

लखनऊः दिनाँकः 27 मार्च, 2017

शासनादेश संख्या-11/2017/88/41-2017-99 यो0/2013, दिनाँक 13 फरवरी, 2017

<u>का शुद्धि-पत्र</u>

वित्तीय वर्ष 2016-17 में आगरा-ब्रज परिक्षेत्र एवं बौद्ध परिपथ में उ0प्र0 प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना हेतु रू0 4,96,66,280-00 (रूपया चार करोड़, छियान्वे हजार, छाछट हजार, दो सौ अस्सी मात्र) धनराशि महानिदेशक, पर्यटन के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति शासनादेश संख्या-11/2017/88/41-2017-99 यो0/2013, दिनाँक 13 फरवरी, 2017 द्वारा प्रदान की गयी है।

2- उक्त शासनादेश के प्रस्तर संख्या-3 में "अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-पर्यटन अवसंरचना-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-97- वाह्य सहायतित परियोजनायें-9701-आगरा-ब्रज परिक्षेत्र एवं बौद्ध परिपथ में प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना-24-वृहत निर्माण कार्य के स्थान पर त्रुटिवश लेखाशीर्षक 5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-पर्यटन अवसंरचना-80-सामान्य-104 संवर्धन तथा प्रचार-04- आगरा ब्रज परिक्षेत्र एवं बौद्ध परिपथ में विश्व प्रो-पुअर टूरिज्म डेवलपमेन्ट परियोजना-24-वृहत निर्माण कार्य मद अंकित हो गया है।

3- अतः उपर्युक्त शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि संदर्भित शासनादेश दिनाँक 13-02-2017 के प्रस्तर संख्या-3 में लेखाशीर्षक 5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-पर्यटन अवसंरचना-80-सामान्य-104 संवर्धन तथा प्रचार-04- आगरा, ब्रज परिक्षेत्र एवं बौद्ध परिपथ में विश्व प्रो-पुअर टूरिज्म डेवलपमेन्ट परियोजना-24-वृहत निर्माण कार्य मद के स्थान पर "अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्षक 5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-पर्यटन अवसंरचना-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-97- वाह्य सहायतित परियोजनायें-9701-आगरा-ब्रज परिक्षेत्र एवं बौद्ध परिपथ में प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना-24-वृहत निर्माण कार्य पढा जाय।

उक्त संशोधन के अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 13.02.2017 में अंकित शेष शर्ते व उपबन्ध यथावत रहेंगे।

शिव कुमार पाठक
उप सचिव

<u>संख्या 16/2017/285(1)/41-2017 तददिनांक</u>

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ।
2- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, आर्थिक कार्य मामले विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
4- सचिव, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय/वित्त/आवास एवं शहरी नियोजन/नियोजन/संस्कृति /वाह्य सहायतित परियोजना विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय नियन्त्रण), अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4
10- कन्ट्री डायरेक्टर, विश्व बैंक, नई दिल्ली।
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
12- गार्ड-फाईल।

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in